रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)-73

REGISTERED No. D-(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 6, 1977 (श्रावण 15, 1899)

No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 6, 1977 (SRAVANA 15, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग III—खण्ड 4

PART III—SECTION 4

विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 6 अगस्त 1977

सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य रजिस्टर तथा शाखा रजिस्टर शेयर अंतरण के लिए शनिवार, दिनांक 20 अगस्त से शनिवार दिनांक 3 सितम्बर 1977 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

पी० सी० डी० नम्बियार,
अध्यक्ष

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकर संस्थान

मद्रास-600034, दिनांक 7 जुलाई 1977

सं० एफ० सीए० (1)/ 3/77—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 सीए० (1)/ 27/76-77 दिनांक 5 मार्च, 1977 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः स्थापित कर दिया है :—

क्र० सं०	स० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1.	11249	श्री वी० गोविन्दा राघवन, ए० सी० ए० फिलाट नं० 22, एम० बी० आई० आफीर्सस कालोनी, 53, गली मेरीस मार्ग, मद्रास-600018।	9-6-1977
2.	12354	श्री के० श्रीधरण, ए० सी० ए० 10-सी० राजू नाईकन गली, मद्रास-600033।	13-6-77

दिनांक 16 जुलाई 1977

सं० 8 सी० ए० (1)/8/77-78—चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10(1) खंड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये प्रेक्टिस प्रमाण-पत्र उनके

नामों के आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण-पत्रों को रखने के इच्छुक नहीं :—

क्र० स० सं० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1. 590	श्री रूसी कावर जी धूपमल, एफ० सी० ए० 2, सलीटर हाऊस, सलीटर रोड, बम्बई-400007 ।	1-1-1977
2. 6117	श्री जयन्ती लाल वल्लभभाई कापडिया, एफ० सी० ए०, 428, एन० मारगुरिस ऐवन्यू, अलाहमबरा क० 91801 ।	1-4-1977
3. 7074	श्री सुरेन्द्र पाल आर्य, ए० सी० ए०, 117/के०-24, सर्वोदय नगर, कानपुर ।	29-6-77
4. 12301	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, ए० सी० ए०, द्वारा बैंक आफ बड़ोदा एल० आई० सी० इन्वैस्टमैन्ट, बिल्डिंग, 45, हजरतगंज, लखनऊ ।	1-7-77
5. 12932	श्री चन्द्र प्रकाश शारदा, ए० सी० ए०, 119-बी०, चितरंजन ऐवन्यू, कलकत्ता-700007 ।	1-7-77
6. 17177	श्री सुरेन्द्रा नाथ दास, ए० सी० ए०, द्वारा उडीसा सीमेन्ट लि० मुबारिकपुर-140201 ।	1-4-77
7. 17198	श्री सुरेश चन्द्रा, ए० सी० ए० 48/5, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली ।	16-8-76
8. 17385	श्री सोहब नूरूद्दीन भातरी, ए० सी० ए०, 27, भाजागांव टैरस, नसबीर रोड, बम्बई-10 ।	1-4-77

दिनांक 22 जुलाई 1977

सं० 5 सी० ए० (1)/13/77-78—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 4 सी० ए० (1)/3/66-67 ता० 17-5-66 (2) 4 सी० ए० (1)/23/72-73 ता० 2-2-73 (3) 4 सी० ए० (1)/30/76-77 ता० 21-3-77 (4) 4 सी० ए० (1)/27/76-77 ता० 5-3-77 के सन्दर्भ में चार्टर प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकर संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः स्थापित कर दिया है :—

क्र० स० सं० सं०	नाम एवं पता	तिथि
1. 6421	श्री हमजाभाई नोमन भाई कापाड़ीया ए० सी० ए० "समर कुईन" बी० ब्लाक 1ली० मंजिल, 2सरी हसनाबाद लेन, सान्ताक्रूज (वैस्ट) बम्बई-400054 ।	4-7-1977
2. 11168	श्री एस० कृष्णामूर्ति ए० सी० ए० एल० आई० सी० आफ इन्डिया 30, हजरत गंज, लखनऊ ।	4-7-1977
3. 15392	श्री के० एच० महादेवन ए० सी० ए० एकाउन्टैन्ट द्वारा के० एम० आदर्श पो० ब० 2044 दुबई (यू० ए० ई०)	6-7-1977
4. 15641	श्री सुहास गजानन कुलकर्णी ए० सी० ए० 8/89, टाईप III ए०, एफ० सी० आई० कालोनी चैम्बूर बम्बई-400074 ।	11-7-1977

पी० एस० गोपालाकृष्ण, सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 1977

सं० एन० 17-11-77 (यो० एवं वि०)-(17)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95 (क) के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 24 जुलाई 1977 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा बिहार कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम 1951 में यथा-निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ

बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :—

क्षेत्र	राजस्व थाने का नाम	राजस्व थानों की सं०	जिला
बारियापुर ग्राम	मोतीहारी	196	मोतीहारी
तारकुलवा ग्राम	तारकौलिया	106	मोतीहारी
खोदानगर ग्राम	मोतीहारी	165	मोतीहारी
लुआथाहा ग्राम	मोतीहारी	170	मोतीहारी
बालुआ लाल ग्राम	मोतीहारी	105	मोतीहारी

टिप्पणी : हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी में लिखित विवरण को ही शुद्ध माना जाए।

सं० एन० 17/11/77-(यो० एवं वि०)-(18)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 31 जुलाई 1977 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम 1953 में यथा निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे, अर्थात् :—

करनाल जिले में :

(1) समालखा का राजस्व ग्राम (हद बस्त सं० 77-बांगर), तथा

(2) भापुरा का राजस्व ग्राम (हद बस्त सं० 70-खादर)।

नोट : हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी में लिखित विवरण को ही शुद्ध माना जाये।

दिनांक 21 जुलाई 1977

सं० एन० 17/13/77-योजना एवं विकास (16)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 5 के उप विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक ने यह निश्चय किया है कि निम्न अनुसूची में निर्दिष्ट क्षेत्रों में वर्ग 'क' 'ख' तथा 'ग' के लिये प्रथम अंशदान एवं प्रथम लाभ अवधियां नियत दिवस 9 जुलाई, 1977 की मध्य रात्रि को बीमा योग्य रोजगार में लगे व्यक्तियों के लिये प्रारम्भ व समाप्त होंगी जैसा कि निम्न सूची में दिया गया है :—

वर्ग	प्रथम अंशदान अवधि		प्रथम लाभ अवधि	
	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है	जिस मध्य रात्रि को प्रारम्भ होती है	जिस मध्य रात्रि को समाप्त होती है
क.	9-7-77	28-1-78	8-4-78	28-10-78
ख.	9-7-77	24-9-77	8-4-78	24-6-78
ग.	9-7-77	26-11-77	8-4-78	26-8-78

अनुसूची

गुजरात राज्य में—

ग्राम	तालुका	जिला
धर्मपुर	रानावव	जूनागढ़

टिप्पणी : हिन्दी अनुवाद में किसी प्रकार की भिन्नता होने पर अंग्रेजी में लिखित विवरण को ही शुद्ध माना जाये।

फकीर चन्द
निदेशक (योजना एवं विकास)

सालारजंग संग्रहालय मण्डल

हैदराबाद, दिनांक 19 जुलाई 1977

सं० 2-68/77-69—सालारजंग संग्रहालय अधिनियम, 1962 के नियम 14 के निष्पादन में, सालारजंग संग्रहालय मंडल, हैदराबाद, केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से यहां सालारजंग संग्रहालय मंडल, प्राविडेंट फंड नियमों 1963 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता है, यथा:—

1. (1) इन नियमों को सालारजंग संग्रहालय मंडल, प्राविडेंट फंड (संशोधन) नियम, 1977 के रूप में समझा जाएगा।

(2) सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख के बाद ये लागू हो सकेंगे।

2. सालारजंग संग्रहालय मंडल, प्राविडेंट फंड अधिनियम, 1963 के नियम 1 (जिन्हें बाद में कथित नियमों से उल्लिखित किया गया है) में शब्द "प्राविडेंट फंड" के स्थान पर शब्द "प्राविडेंट फंड-कम ग्रेच्युटी" रखा जाए।

3. कथित नियमों के नियम 2 में—

(अ) धारा के (ब) बजाय निम्नलिखित धाराएं रखी जाएं, यथा :—

(ब) "प्राप्तियों" फंड के सम्बन्ध में, का अर्थ, वेतन, अवकाश वेतन या जीविका अनुदान, जैसा कि मूल नियमों में परिभाषित है, और उसमें महंगाई वेतन, वेतन के उपयुक्त, अवकाश वेतन, अथवा जीविका अनुदान यदि स्वीकार्य हो, और ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में का अर्थ औसत वेतन (जिसमें कि विशेष वेतन, महंगाई वेतन, अवकाश वेतन और जीविका अनुदान—गैर वैतनिक कर्मचारियों के मामले में प्राप्त शामिल हैं) और कि जो नौकरी छोड़ने के 36 माह पूर्व

उठायी गयी हैं और बशर्ते कि वह 2000 रु० प्रति मास से अधिक न हों।

(बब) "कर्मचारी" का अर्थ वह व्यक्ति जो मंडल के अन्तर्गत पूरे समय के लिए नियुक्त किया गया हो,

ब. धारा के बाद (फ) निम्नलिखित धारा सम्मिलित की जानी चाहिए, यथा—

"(फफ) अस्थायी कर्मचारी" का अर्थ वह व्यक्ति जो मंडल के तहत किसी भी स्थान पर स्थायी रूप से नियुक्त न किया गया हो,"

4. कथित नियमों के नियम 11 में—

(अ) उपनियम में (2) "8$\frac{1}{3}$ प्रतिशत" के स्थान पर अंक "8 प्रतिशत" रखा जाना चाहिए,

(ब) उपनियम के बाद (2) निम्नलिखित उपबन्ध सम्मिलित किया जाना चाहिए, यथा—

"हालांकि एक ऐसे कर्मचारी के मामले में, जो कि सालारजंग संग्रहालय मंडल प्राविडेंट फंड (संशोधन) नियम 1977 के श्रीगणेश से पूर्व से मंडल की नौकरी में है, और कि उसकी राशि में मंडल की सहयोग राशि, उसकी लगातार सेवा के बावजूद, उस तारीख के पूर्व 8 प्रतिशत रहेगी और उसमें आवश्यक सामंजस्य होगा, यदि ऐसा कर्मचारी ग्रेच्युटी के लिए उस सेवा को उन नियमों के अन्तर्गत शामिल करना चाहता है तो वे अपनी लगातार नौकरी की कालावधि के लिए सालारजंग संग्रहालय मंडल प्राविडेंट फंड (संशोधन) 1977 के श्रीगणेश के पूर्व नियमतः वह उन नियमों को विकल्प के लिए चुन सकता है, या जैसे कि ये नियम जो सालारजंग संग्रहालय मंडल (संशोधन) 1977 के पूर्व से चले आ रहे हैं, का लाभ उठाना चाहे तो उस कालावधि के लिए उठा सकता है, किन्तु एक बार प्रयोग में आने के बाद यह विकल्प अन्तिम होगा।"

5. कथित नियम 24 के बाद, निम्नलिखित नियम सम्मिलित किये जाएं, यथा—

"24अ. ग्रेच्युटी की पात्रता के लिए शर्तें (1) मंडल के पूर्णकालिक कर्मचारियों की अच्छी, कार्य कुशलता और विश्वसनीय सेवा के लिए ग्रेच्युटी स्वीकृत की जाएगी और इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी शामिल नहीं रहेंगे, यथा—

(1) अनियमित और अस्थायी कर्मचारी,

(2) सरकारी नौकर तथा अन्य प्रतिनियुक्त कर्मचारी

(3) अनुबंधित कर्मचारी

(4) पुर्नियुक्त कर्मचारी

2. मृत्यु के मामले के अलावा, एक कर्मचारी जिसने कि किसी पद पर मंडल के अन्तर्गत 5 वर्ष की सेवावधि पूर्णकाली हो—इन नियमों के अन्तर्गत ग्रेज्युटी का अधिकारी होगा।

3. एक कर्मचारी जो त्यागपत्र देता है या जिसे मंडल की नौकरी से हटाया जाता है, या जिसे डिसमिस किया जाता है, इन नियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी का अधिकारी नहीं होगा।

24ब.—ग्रेच्युटी की स्वीकार्य मद—एक कर्मचारी को दी जाने वाली ग्रेच्युटी की रकम मंडल में उसकी नौकरी के प्रत्येक समाप्त वर्ष में मासिक प्राप्तियों की आधी दर पर आधारित होगी जोकि प्राप्तियों से अधिक 16$\frac{1}{2}$ गुना होगी बशर्ते कि वह किसी भी हालत में 30,000 से अधिक न हो।

24स.—ग्रेच्युटी के भुगतान का समय—ग्रेच्युटी उसी हालत में दी जायेगी जबकि कर्मचारी नियम 24अ, के उपनियम (3) के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में मंडल की नौकरी से अलग हो।

24द.—ग्रेच्युटी के उद्देश्यों से नामजदगियां—(1) मृत्यु हो जाने की हालत में एक कर्मचारी जो कि इन नियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी का अधिकारी है, उसकी बकाया राशि, का भुगतान जैसी भी स्थिति हो, उसके नामजद या नामजदों को किया जायेगा।

(2) मृत्यु की हालत में, ग्रेच्युटी की रकम नियम, 24ब. के अनुसार या जैसा भी हल होगा, जो कोई ज्यादा होगी, निम्नलिखित ढंग से परिकलित की जाएगी :

(1) नौकरी के प्रथम वर्ष में	2 मास की प्राप्तियां	उस समय अंशदाता के फंड में जमा मंडल की सहयोग राशि और ब्याज सहित राशि से घटा कर
(2) एक वर्ष के बाद किन्तु पांच वर्ष की नौकरी से पूर्व	6 मास की प्राप्तियां	
(3) 5 वर्ष की सेवा अवधि समाप्ति के बाद	12 मास की प्राप्तियां	

(3) (1) जब कि वह नौकरी में है, प्रत्येक कर्मचारी को चाहिए कि वह अपनी मृत्यु की हाल में अपने परिवार के सदस्यों की एक या एक से अधिक नामजदगियां निश्चित करे जिन्हें कि ग्रेच्युटी हासिल करने का हक हो अथवा नौकरी छोड़ने के पश्चात् किन्तु ग्रेच्युटी के भुगतान के पूर्व प्रत्येक को कितना हिस्सा दिया जाए यह उल्लेख भी होना चाहिए।

(2) यदि कर्मचारी का परिवार न हो तो उस स्थिति में नामजदगी किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के हक में की जा सकती है या व्यक्ति के एक निकाय सामुहिक या असामुहिक के हक में भी।

(3) जैसा कि (1) के उपनियम (अ) के नियम (5) में है यदि उसके परिवार में एक या एक से अधिक व्यक्ति विद्यमान हैं तो ऐसे सभी व्यक्तियों को यह राशि विधवा पुत्री जैसे सदस्य के अतिरिक्त, समान अनुपात में दी जा सकती है।

(4) यदि परिवार का ऐसा कोई सदस्य जीवित नहीं है किन्तु यदि एक या एक से अधिक विधवा पुत्रियां विद्यमान हैं, अथवा एक या एक से अधिक परिजन विद्यमान हैं (1) के उपनियम (ई) के नियम (5) के अनुसार तो ऐसे सभी सदस्यों को समान अनुपात में ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाएगा।

(5) इस नियम के उद्देश्य के लिए परिवार में निम्नलिखित शामिल होने चाहिएं, यथा :—

(अ) पुरुष कर्मचारी के मामले में पत्नी,

(ब) महिला कर्मचारी के मामले में पति,

(स) पुत्र,

(द) अविवाहित और विधवा पुत्रियां (सौतेले पुत्र और दत्तक बच्चों सहित),

(ई) 18 वर्ष से कम आयु के अविवाहित भाई, विधवा बहनें (सौतेले भाई-बहनों सहित),

(फ) पिता,

(ज) माता,

(ह) विवाहित पुत्रियां, और

(आई) एक पूर्व मृत पुत्र के बाल-बच्चे।

24 ई.—परिस्थितियाँ जिनमें संचय और ग्रेच्युटी का भुगतान होगा :—

(1) संगत नियमों के अन्तर्गत यदि कोई कर्मचारी फंड में मंडल की सहयोग राशि के भुगतान के योग्य हो गया है, और सेवामुक्त होता है या सेवा निवृत्ति के बाद 5 वर्ष की अवधि में उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु की अवधि तक जो रकम उसे प्राप्त होती रही है फंड में सहयोग राशि से मंडल के शेयर के रूप में, इन नियमों के अन्तर्गत ग्रेच्युटी के साथ और वह प्राप्तियों की राशि से 12 गुना के बराबर से कम है तो उस स्थिति में कमी के बराबर ग्रेच्युटी उस व्यक्ति द्वारा नामजद व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए स्वीकृत की जाएगी।

(2) यदि फंड में मंडल की शेयर राशि का हकदार होने से पूर्व ही एक स्थायी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय उसका परिवार उसकी प्राप्ति की छह गुनी ग्रेच्युटी का अधिकारी हो जाता है, किन्तु ऐसे मामलों के अतिरिक्त जबकि मृत्यु नौकरी के पहले ही वर्ष में हो जाए, तब स्वीकार्य ग्रेच्युटी दो मास की प्राप्ति के बराबर ही होगी।

(3) एक अस्थायी कर्मचारी जो सेवा निवृत्त होता है या हटाया जाता है, छंटनी में, या भावी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, वह अपनी नौकरी के प्रत्येक वर्ष के एक मास की प्राप्ति की एक-तिहाई रकम के अनुपात में ग्रेच्युटी का अधिकारी होगा, बशर्ते कि उसने सेवा निवृत्ति, निकाले जाने या अमान्यकरण किये जाने तक लगातार पांच वर्ष से कम नौकरी न की हो।

ह० अपठनीय
अध्यक्ष
सालारजंग संग्रहालय मंडल

हैदराबाद:
तारीख: 16-7-77

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

तेल भवन, देहरादून, दिनांक 6 अगस्त 1977

सं० 17(23)/76-रेग—तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 (1959 के 43) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (वेतन एवं भत्ता) विनियमावली, 1972 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

1. (1) ये विनियम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (वेतन एवं भत्ता) संशोधन विनियम, 1977 कहे जायेंगे।

(2) ये विनियम भारत सरकार के राजपत्र में इनके प्रकाशित होने के दिनांक से लगू होंगे।

2. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (वेतन एवं भत्ता) विनियमावली, 1972 के विनियम 7 में—(अ) खण्ड (1) के स्थान में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित होगा, अर्थात्:—

"(1) इस विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में प्रथम श्रेणी पद के समकक्ष किसी पद पर आसीन कोई कर्मचारी यदि मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में किसी अन्य पद जो कि उसके द्वारा धृत पूर्वपद की अपेक्षा अधिक उच्च कर्त्तव्यों एवं दायित्वों से युक्त है, पर उन्नत अथवा नियुक्त किया जाता है, तो उच्च पद के सामयिक वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतन पुराने पद पर उसके द्वारा प्राप्त वेतन से उच्चतर अगले सोपान पर स्थिर होगा;"

(ब) खण्ड (2) में, 'जिसमें इस प्रकार की कोई कर्तव्य-ग्रहण संनिहित नहीं है,' शब्दों के स्थान में 'जिसमें उन कर्त्तव्यों एवं दायित्वों की अपेक्षा जो उस पद से जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है, अनुलग्न है, अधिक कर्त्तव्य एवं दायित्व संनिहित नहीं हैं,' शब्द प्रतिस्थापित होंगे;

(स) खण्ड (7) के स्थान में निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात्:—

"इस विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न

रूप में वर्तमान पदों में से किसी पद पर आसीन कोई कर्मचारी, यदि अपने द्वारा धृत पद में संलग्न कर्तव्यों एवं दायित्वों की अपेक्षा अधिक महत्व के कर्तव्यों एवं दायित्वों से युक्त किसी अन्य पद पर उन्नत अथवा नियुक्त किया जाता है, तो उच्च पद के सामयिक वेतन मान में उसका प्रारम्भिक वेतन, निम्न पद पर उसका वेतन जिस सोपान तक पहुंच चुका है, उसमें एक वेतन-वृद्धि की वृद्धि करके कल्पनया निकाले गये वेतन से उच्चतर अगले सोपान पर स्थिर होगा ;

परन्तु इस खण्ड की यह व्यवस्था वहां लागू नहीं होगी जहां मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में प्रथम-श्रेणी पद के समकक्ष किसी पद पर आसीन कोई कर्मचारी मौलिक, अस्थायी अथवा स्थानापन्न रूप में किसी ऐसे उच्च पद पर जो कि प्रथम-श्रेणी पद के समकक्ष भी है, उन्नत अथवा नियुक्त किया जाता है;

परन्तु यह और, कि खण्ड (5) की व्यवस्था किसी भी दशा में वहां लागू नहीं होगी जहां कि प्रारम्भिक वेतन इस खण्ड के अधीन स्थिर हुआ हो ;

परन्तु यह और भी, कि किसी उच्च पद पर उन्नति अथवा नियुक्ति से तुरन्त पूर्व कोई कर्मचारी यदि निचले पद के सामयिक वेतनमान में अधिकतम वेतन ले रहा हो, तो उच्च पद के सामयिक वेतनमान में उसका प्रारम्भिक वेतन, निचले पद के उसके वेतन में निचले पद के सामयिक वेतनमान की अन्तिम वेतन-वृद्धि के तुल्य राशि जोड़ कर कल्पनया निकाले गये वेतन से उच्चतर अगले सोपान पर स्थिर होगा।

(7अ) ऐसी असंगति की दशा में, जहां खण्ड (7) के प्रयोग से उच्च पद पर उन्नत अथवा नियुक्त कोई कर्मचारी निम्न पदक्रम में अपने से कनिष्ठ तथा अपने से बाद किसी अन्य समान पद पर उन्नत किसी अन्य कर्मचारी की अपेक्षा उच्च पद पर निम्न दर से वेतन पाता है, तो उच्च पद पर वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन उस वेतन के तुल्य राशि तक बढ़ा दिया जायगा जिस पर कनिष्ठ कर्मचारी का वेतन उच्च पद में स्थिर हुआ है। यह वृद्धि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति अथवा नियुक्ति के दिनांक से प्रभावी होगी, अर्थात्:—

(अ) कनिष्ठ और वरिष्ठ कर्मचारी, दोनों एक ही संवर्ग के हों तथा वे पद जिन पर वे उन्नत अथवा नियुक्त किये गये हैं, एक समान तथा एक ही संवर्ग के हों; तथा

(ब) निम्न तथा उच्च पदों के वेतनमान जिनमें वेतन लेने के वे अधिकारी हैं, एक समान हों।

(स) यह असंगति खण्ड (7) के प्रयोग का प्रत्यक्ष (आरोह) परिणाम हो। इस खण्ड की व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन के पुनर्स्थिरीकरण का आदेश विनियम-11 के उप-विनियम (2) के अधीन जारी होगा। वरिष्ठ कर्मचारी की अगली वेतन-वृद्धि अपेक्षित अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर वेतन के पुनर्स्थिरीकरण के दिनांक से ग्राह्य होगी।"

के० के० धर, सचिव आयोग

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 16th August 1977

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Principal Register and the Branch Registers of the State Bank of India will be closed for transfer of shares from Saturday, the 20th August 1977 to Saturday, the 3rd September 1977, both days inclusive.

P. C. D. AMBIAR
Chairman

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Madras-600 034, the 7th July 1977

No. 5SCA (1)/3/77-78.—With reference to this Institute's Notification No. 4CA(1)/27/76-77, dated 5th March, 1977 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the Powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members, with effect from the date mentioned against their names the names of the following gentlemen:—

S. No.	M.No.	Name & Address	Date of Restoration
1	2	3	4
1.	11249	Shri V. Govinda Raghavan, A.C.A., Flat No. 22, S.B.I. Officer's Colony. 53, St. Mary's Road, Madras-600 018.	9-6-1977
2.	12354	Shri K. Sridharan, A.C.A., 10-C, Raju Naicken Street, Madras-600 033.	13-6-1977

New Delhi-110002, the 16th July 1977

No. 8-CA(1)/8/77-78.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members shall stand cancelled from the period mention-

of against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

S. No.	Membership No.	Name and Address	Period from which Certificate shall stand cancelled
1	2	3	4
1.	593	Shri Rusi Cooverji Dhoodhmal, F.C.A., 2, Sleater House, Sleater Road, Bombay-400007.	1-1-1977
2.	6117	Shri Jayantilal Vallabhbhai, Kapadia, F.C.A., 428, N. Marguerita Ave., Alhambra Ca 91801.	1-4-1977
3.	7074	Shri Surendra Pal Arya, A.C.A., 117/K-24, Sarvodaya Nagar, Kanpur.	29-6-77
4.	12391	Shri Krishna Kumar Agarwal, A.C.A., C/o Bank of Baroda, L.I.C. Investment Bldg., 45, Hazrat Ganj, Lucknow.	1-7-1977
5.	12932	Shri Chandra Prakash Sharda, A.C.A., 119-B, Chittaranjan Avenue, Calcutta-700007.	1-7-1977
6.	17177	Shri Surendra Nath Das, A.C.A., C/o. Orrisa Cement Ltd., Mubarikpur-140210.	1-4-1977
7.	17198	Shri Suresh Chandra, A.C.A, 48/5, East Patel Nagar, New Delhi.	16-8-1976
8.	17385	Shri Soeb Noorudin Bhatri, A.C.A., 27, Mazagaon Terrace, Nesbit Road, Bombay-400010.	1-4-1977

The 22nd July 1977

No. 5—CA(1)/13/77-78.—With reference to this Institute's Notification Nos. 4—CA(1)/3/66-67 dated 17-5-1966 (2)4—CA (1)/23/72-77 dated 2-2-1973 (3) 4CA-(1)/30/76-77 dated 21-3-1977 (4) 4—CA(1)/27/76-77 dated 5-3-1977 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regualtions, 1964, that in exercise of powers conferred by Regulations 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No.	Membership No.	Name and Address	Date of Restoration.
1	2	3	4
1.	6421	Shri Hamzabhai Nomanbhai Kapadia, A.C.A., 'Summer Queen' 'B' Block, 1st Floor, 2nd Hasnabad Lane, Santacruz (West), Bombay-400054.	4-7-1977
2.	11168	Shri S. Krishnamurthy, A.C.A., L.I.C. of India. 30, Hazratganj, Lucknow.	4-7-1977
3.	15392	Shri K.H. Mahadevan, A.C.A., Accountant. C/o. M/s. K. M. Brothers, P.O. Box, 2044, Dubai (U.A.E.).	6-7-1977
4.	15641	Shri Sahas Gajanan Kulkarni, A.C.A., 8/89 Type III A, F.C.I. Colony, Chembur, Bombay-400074.	11-7-1977

P. S. GOPALAKRISHNAN,
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 15 July 1977

No. N. 17/11/77-(P&D)—(17).—In pursuance of the powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 24th July, 1977 as the date from which the medical benefit as laid down in the said Regulations 95-A and the Bihar Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1951, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the state of Bihar namely:—

Area	Name of Revenue Thana	Number of Revenue Thana	District
1	2	3	4
Wariapur village	Motihari	196	Motihari
Tarkulva village	Tarkaulia	106	Motihari
Khodanagar village	Motihari	165	Motihari
Luathaha village	Motihari	170	Motihari
Balua Talvillage	Motihari	105	Motihari

No. N.17/11/77-(P&D)-(18).—In pursuance of the powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 31st July, 1977 as the date from which the medical benefit as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1953, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely :—

(1) The revenue Village of Smalkha (Had Bast Number 77-Bangar); and

(2) The revenue village of Bhapura (Had Bast Number 70-Khadar); in the District of Karnal.

The 21st July 1977

No. N. 17/13/77-(P&D) (16).—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of Regulation 5 of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has determined that in the areas specified in the Schedule given below the first contribution and first benefit periods for Sets 'A', 'B' and 'C' shall begin and end in respect of persons in

insurable employment on the appointed day of midnight of 9th July, 1977 as indicated in the table given below :—

Set	First contribution period		First benefit period	
	Begins on midnight of	Ends on midnight of	Begins on midnight of	Ends on midnight of
A.	9-7-1977	28-1-1976	8-4-1978	28-10-1978
B	9-7-1977	24-9-1977	8-4-1978	24-6-1978
C	9-7-1977	26-11-1977	8-4-1978	26-8-1978

SCHEDULE

Village	Taluka	District
Dharmpur	Ranavav	Junagadh

in the state of Gujarat.

FAQIR CHAND
Director (Plg. & Dev.)

OFFICE OF THE SALAR JUNG MUSEUM BOARD

Hyderabad, the 19th July 1977

No. II-68/77-69.—In pursuance of regulation 14 of the Salar Jung Museum Regulations, 1962, the Salar Jung Museum Board, Hyderabad, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Salar Jung Museum Board Provident Fund Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Salar Jung Museum Board Provident Fund (Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 1 of the Salar Jung Museum Board Provident Fund Rules, 1963 (hereinafter referred to as the said rules), for the words "Provident Fund", the words "Provident Fund-*cum*-Gratuity" shall be substituted.

3. In rule 2 of the said rules,—

(a) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely :—

'(b) "emoluments", in relation to Fund, means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the Fundamental Rules and includes dearness pay appropriate to Pay, leave salary, or subsistence grant if admissible, and, in relation to gratuity, means the average pay (which term includes special pay, dearness pay, leave salary and subsistence grant received in the case of non-salarised employees) drawn during 36 months preceding the date of quitting the service and shall be subject to a maximum of Rs. 2,000/- p.m.;

(bb) "employee" means a person who is appointed on whole-time basis to a post under the Board;'

(b) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ff) temporary employee" means a person who is not confirmed on any post under the Board;".

4. In rule 11 of the said rules,—

(a) in sub-rule (2), for the figures "8½", the figre "8%" shall be substituted;

(b) after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in the case of an employee who was in service of the Board before the date of commencement of the Salar Jung Museum Board Provident Fund (Amendment) Rules, 1977, the Board's contribution to the Fund in respect of his continuous service prior to that date shall be reduced to 8% and necessary adjustments made, if such employee desires to count such service for gratuity under these rules, subject to the condition that he may exercise the option to elect these rules for the period of his continuous service before the commencement of the Salar Jung Museum Board Provident Fund (Amendment) Rules, 1977, or to continue to get the benefit of these rules as they stood before the commencement of the Salar Jung Museum Board Provident Fund (Amendment) Rules, 1977, for that period and the option once exercised shall be final".

5. After rule 24 of the said rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"24A. *Conditions for eligibility of the gratuity* :—(1) Gratuity shall be granted to the whole-time employee of the Board for good, efficient and faithful service and shall exclude the following categories of employees, namely :—

(i) Casual and non-regular employee;

(ii) Government servants and other employed on deputation;

(iii) Employees on contract basis;

(iv) re-employed persons.

(2) Except in the case of death, an employee should have completed a minimum of 5 years' service in a post under the Board to become entitled to the gratuity payable under these rules.

(3) An employee who resigns or whose services are terminated or who is dismissed from the service of the Board shall not be entitled to any gratuity under these rules.

24B. *The rate of gratuity admissible.*—The amount of gratuity payable to an employee shall be at the rate of one-half of the monthly emoluments for each completed year of his service in the Board, subject to a maximum of 16½ times the emoluments, provided that in no case it shall exceed Rs. 30,000/-.

24C. *Time at which the gratuity is payable.*—The gratuity shall be payable when the employee leaves the service of the Board in circumstances other than those specified in sub-rule (3) of rule 24A.

24D. *Nominations for the purposes of gratuity.*—(1) In the event of death of an employee who is entitled for payment of gratuity under these rules, the amount due to him shall be payable to his nominee or nominees as the case may be.

(2) In the case of death, the amount of gratuity shall be calculated under rule 24B or as worked out below, whichever is more :

(i) During the first Year of service	2 months' emoluments	Reduced by the amount of Board's contribution together with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.
(ii) after one year but before five years' service	6 months' emoluments	
(iii) after completion of 5 years' service.	12 months emoluments	

(3) (i) Every employee shall make a nomination conferring on one or more persons of his family the right to receive the gratuity in the event of his death while in service or after quitting service but before payment of the gratuity is made, indicating the share payable to each member.

(ii) In the case of an employee having no family, the nomination may be made in favour of a person or persons or a body of persons, corporate or incorporate.

(iii) If there are one or more surviving members of the family as in sub-clauses (a) to (i) of clause (v), it may be paid to all such members, other than any such member who is a widowed daughter, in equal shares.

(iv) If there are no such surviving members of the family but there are one or more surviving widowed daughters, or one or more surviving members of the family as in sub-clauses (e) to (i) of clause (v), the gratuity may be paid to all such members in equal shares.

(v) For the purposes of this rule the family shall include the following, namely :—

(a) wife in the case of male employee;

(b) husband in the case of a female employee;

(c) sons;

(d) Unmarried and widowed daughters (including step children and adopted children);

(e) brothers below the age of 18 years and unmarried and widowed sisters (including step brothers and step sisters);

(f) father;

(g) mother;

(h) married daughters; and

(i) children of a pre-deceased son.

24B. *Circumstances in which accumulations and gratuity are payable.*—(1) If any employee who has become eligible for payment of Board's contribution to the Fund under the relevant rules retires and dies within a period of 5 years after such retirement and the same actually received by him till the time of death on account of Board's share of contribution to the Fund, together with the gratuity under those rules, is less than the amount equal to 12 times the emoluments, a gratuity equal to the deficiency shall be granted to the person or persons nominated by him.

(2) If a permanent employee dies before becoming eligible for the Board's share of the contribution to the Fund, his family shall be eligible for a gratuity equal to six times his emoluments at the time of his death, except in cases in which death occurs in the first year of service, when the gratuity admissible shall be equal to two months' emoluments.

(3) A temporary employee who retires or is discharged on account of retrenchment or is declared invalid for further service, shall be eligible for a gratuity at the ratio of one-third of a month's emoluments for each completed year of his service, provided that he has completed not less than five years of continuous service at the time of retirement, discharge or invalidation".

Sd./- ILLEGIBLE
Chairman
Salar Jung Museum Board

Hyderabad :
Dated : 16-7-77

OIL & NATURAL GAS COMMISSION

Tel Bhavan, Dehra Dun, the 6th August 1977

No. 17(23)/76-Reg.—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Oil and Natural Gas Commission Act, 1959 (43 of 1959), the Oil and Natural Gas Commission, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, further to amend the Oil and Natural Gas Commission (Pay and Allowances) Regulations, 1972, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Oil and Natural Gas Commission (Pay and Allowances) Amendment Regulations, 1977.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Oil and Natural Gas Commission (Pay and Allowances) Regulations, 1972, in regulation 7—(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :—

"(i) Notwithstanding anything contained in this regulation, when an employee holding a post equivalent to a class I post in a substantive, temporary, or officiating capacity, is promoted or appointed in a substantive, temporary or officiating capacity to another post which is also equivalent to a class I post carrying higher duties and responsibilities than those attached to the old post held by him, his initial pay in the time scale of the higher post shall be fixed at the stage next above his pay in respect of his old post.";

(b) in clause (ii), for the words "does not involve such assumption", the words "which does not carry duties and responsibilities higher than those attached to the post on which he holds a lien," shall be substituted;

(c) for clause (vii) the following clauses shall be substituted, namely :—

"(vii) Notwithstanding anything contained in this regulation, where an employee holding a post in a substantive, temporary or officiating capacity in any of the posts, is promoted or appointed in a substantive, temporary or officiating capacity to another post carrying duties and responsibilities of greater importance than these attaching to the post held by him, his initial pay in the time-scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by one increment at the stage at which such pay has accrued :

Provided that the provisions of this clause shall not apply where an employee holding a post equivalent to class I post in a substantive, temporary or officiating capacity is promoted or appointed in a substantive, temporary or officiating capacity to a higher post which is also a post equivalent to a class I post :

Provided further that the provision of clause (v) shall not be applicable in any case where the initial pay is fixed under this clause :

Provided also that where an employer is, immediately before his promotion or appointment to a higher post, drawing pay at the maximum of the time scale of the lower post, his initial pay in the time scale of the higher post shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing his pay in respect of the lower post by an amount equal to the last increment in the time-scale of the lower post.

(vii a) In a case of an anomaly in the application of clause (vii) an employee promoted or appointed to a higher post happens to draw a lower rate of pay in that post than another employee junior to him in the lower grade and promoted subsequently to another identical post, the pay of the senior employee in the higher post shall be stepped up to a figure equal to the pay as fixed for junior employee in that higher post. The stepping up shall be done with effect from the date of promotion or appointment of the junior employee and shall be subject to the following conditions namely :—

(a) Both the junior and senior employees shall belong to the same cadre and the posts in which they have been promoted or appointed shall be identical and in the same cadre; and

(b) The scales of pay of the lower and higher posts in which they are entitled to draw pay shall be identical.

(c) This anomaly shall be the direct result of the application of clause (vii). The order refixing the pay of the senior employee in accordance with the provisions of this clause shall be issued under sub-regulation (2) of regulation 11. The next increment of the senior employee shall be drawn on completion of requisite qualifying service with effect from the date of refixation of pay."

K. K. DHAR
Secretary to the Commission.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977